पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

उनवान :– अपील प्रकरण संख्या 28/2015

1. श्रीमती रूपिन्द्र कौर पुत्री जगजिन्द्र सिंह जाति जट सिख्या आयु करीब 52 वर्ष निवासी 8 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. ग्राम पंचायत 5 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत
2. कुलवीर कौर पत्नी सतविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 8 एल एल तहसील श्रीगंगानगर
3. गुरजोत सिंह पुत्र सतविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 8 एल एल तहसील श्रीगंगानगर
4. शरशदीप कौर पुत्री सतविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 8 एल एल तहसील श्रीगंगानगर

– – रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता — अपीलान्ट
2. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता — रेस्पोडेन्टस

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16.02.2018

अपीलान्ट की ओर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टा की शादी स्व. सतेन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह के साथ मुताबिक हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। विवाह के बाद दोनों मे विचार ना मिलने के कारण आपस में तलाक के तय किया जाकर कार्यवाही की गई। सतेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थीया को निर्वाह भत्ता व अन्य अधिकारों के रूप में अपनी कृषि भूमि में से मु0नं0 10 के किला नम्बर 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18 कुल 8 बीघा देने का तय किरके इस सम्बन्ध में प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 23.07.2003 को तहरीर करवाया गया जिसकी नकल शामिल है तभी से कब्जा उक्त 8 बीघा का अपीलान्टा का चला आ रहा है। सतेन्द्र सिंह का देहान्त हो चुका है अब उसके वारिसान रेस्पोडेंट 2 ता 4 के द्वारा उक्त प्रतिज्ञा पत्र की जानकारी होते हुए जानबूझ कर इसको छिपा कर लालचवश चुपचाप समस्त अराजी का इंतकाल अपने नाम करवा लिया, अपीलान्टा द्वारा दिनांक 14.09.2015 को पटवारी हल्का से मिल कर 8 बीघा का इंतकाल अपने नाम करवाने की कार्यवाही करने पर पता चला कि इंतकाल रेस्पोडेंट 2 ता 4 के नाम से हो चुका है इस पर नकल हासिल कर कानूनी राय लेकर तथा रूपया का इंतजाम करके यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है इतकाल जेर अपील जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है, गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल करने से पूर्व ना तो अपीलान्टा को कोई शौकाज नोटिस दिया गया, ना मिला, ना बुलाया, ना सुना गया इस प्रकार इंतकाल जेर अपील गलत व इकतरफा होने से तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की पालना ना होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है।।

ग्राम पंचायत द्वारा ना तो कभी कोई कानूनी प्रकिया अपनायी ना ही किसी प्रकार से आपत्ति सूचना प्रकाशित की ना ही इंतकाल नियमों का पालन किया तथा ना ही लैण्ड रिकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की इस प्रकार से इंतकाल जेर अपील कतई गलत किया गया है मु.नं. 10 के 8 बीघा पर कब्जा अपीलान्टा का सन् 2003 के चला आ रहा है तथा कब्जा के अभाव में किसी प्रकार से रेस्पोडेंट नं. 2 ता 4 के नाम से 8 बीघा का इंतकाल नहीं किया जा सकता था इस प्रकार इंतकाल जेर अपील गलत होने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा ना तो कोई मीटिंग की गई ना ही मीटिंग में इंतकाल का प्रस्ताव पास किया गया ना ही कोई कमेटी गठित की ई ना ही कमेटी ने मौका देखा तथा

(राजस्व)

तस्दीक नहीं किया जा सकता था।

अपीलान्टा के पति स्व. सतेन्द्र सिंह ने अपनी स्वेच्छा से रूबरू गवाहान के 8 बीघा जमीन देने की बाबत प्रतिज्ञा पत्र तहरीर करवाया जिसकी नकल शामिल है यदि अपीलान्टा को सुना जाता तो वह उक्त दस्तावेज को साबितज करवाती तथा किसी प्रकार से इंतकाल नहीं हो सकता क्योंकि दस्तावेज रजिस्टर्ड है जो कि नोटेरी से तस्दीकशुदा है तथा सोहनसिंह दंदीवाल वसीकानवीस के रजिस्टर में भी दर्ज है अतः ऐसे दस्तावेज की मौजूदगी में इंतकाल कानूनन नहीं किया जा सकता था।

ग्राम पंचायत ने सीधे ही इंतकाल दर्ज कर पेश करने पर तस्दीक किया है जैसा कि पटवारी ने रिपोर्ट दिनांक 04.08.2010 को पेश की तथा आर आई ने मिलान 04.08.2010 को किया तथा इंतकाल दिनांक 05.08.2010 को कर दिया है इससे यह स्पष्ट है कि कोई कानूनी प्रकिया नहीं अपनायी गई बल्कि सीधे ही इंतकाल तस्दीक किया गया है। अन्य वजुहात बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे जिनके आधार पर अपील काबिल मंजूरी के है।

रेस्पोडेंट 2 ता 4 के द्वारा जमीन बेचान करने की बातचीत लोगों से करने पर अपीलान्टा ने उक्त 8 बीघा का इंतकाल अपने नाम करवाने के लिए पटवारी हल्का से दिनांक 14.09.2015 को सम्पर्क किया तो पता चला कि इंतकाल तो रेस्पोडेंट 2 ता 4 के नाम से हो चुका है इस प्रकार सर्वप्रथम इंतकाल जेर अपील की जानकारी होने पर उसी रोज नकल हासिल कर कानूनी राय लेकर तथा रूप्या का इंतजाम करके यह अपील बिना किसी देरी के पेश की जा रही है जो कि इलम से अन्दर मियाद है।

अपीलान्टा द्वारा अपील पेश कर निवदेन किया कि अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल जेर अपील को 8 बीघा की हद तक निरस्त करते हुए अपीलान्टा के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.09.2016 को रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्य जिस तरह से कथित किये गये है, मिथ्या व निराधार होने के कारण अस्वीकार है। अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर व स्व. श्री सतेन्द्र सिंह का पारस्परिक सहमति से दिनांक 03.03.2004 को विवाह विच्छेद होना स्वीकार है परन्तु स्व. श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर को निर्वाह भत्ता वह अन्य अधिकारों के रूप में चक 8 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगागनर में स्थित अपनी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18 कुल 8 बीघा कृषि भूमि देने का कथन तथा उक्त सम्बन्ध में स्व. श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर के पक्ष में कथित दस्तावेज प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23.07.003 निष्पादित किये जाने का कथन मिथ्या व निराधार होने के कारण अस्वीकार है। स्व. श्री सतेन्द्र सिंह ने अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर को निर्वाह भत्ता व अन्य अधिकारों के रूप में चक 8 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित अपनी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18 कुल 8 बीघा कृषि भूमि अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर को कभी भी नहीं दी थी और ना ही इस सम्बन्ध में कथित दस्तावेज प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23.07.2003 अपीलार्थी के पक्ष में विधिवत रूप से निष्पादित किया था। अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर ने कृषि भूमि हडपने की नियत से कथत दस्तावेज प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23.07.2003 फर्जी व कूटरचित तैयार किया है जो कि स्वीकार किये जाने योगय नहीं है, प्रत्यर्थीगण कथित दस्तावेज प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23.07.2003 को स्वीकार नहीं करते हैं। चक 8 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित स्व. श्री सतेन्द्र सिंह की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अपीलार्थी का कभी भी कब्जा व स्वामित्व नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कब्जा विद्यमान है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर स्व. श्री सतेन्द्र सिंह के जीवन काल में श्री सतेन्द्र सिंह का लगातार कब्जा व स्वामित्व बना रहा था तथा उनके देहान्त के पश्चात उनकी विवाहिता पत्नी प्रत्यर्थी संख्या 2 व धर्मज संतान प्रत्यर्थी संच 3 व 4 का लगातार कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। अपीलार्थी श्रीमती रूपिन्द्र कौर वर्तमान में चल 8 एल एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर में निवास नहीं कर रही है। स्व. श्री सतेन्द्र सिंह से विवाह विच्छेद हो जाने के उपरान्त सन् 2004 में ही अपीलार्थी श्रीमती रूपिन्द्र कौर ने पुनः विवाह कर लिया था तथा तब से वह अपने पति के साथ गांव रामपुराफुल जिला बठिण्डा (पंजाब) में निवास कर रही हैं स्व. श्री सतेन्द्र सिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त वर्णित कृषि भूमि का उत्तराधिकार के क्रम में नामान्तरण व अंतरण प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में हो चुका है जो कि वैध व प्रभावी नामांतरण है तथा निरस्त योग्य नहीं है। इंतकाल आदेश दिनांक 05.08.2010 समस्त विधिक प्रकिया अपनाई जाकर जारी किया गया है जो कि वैध व प्रभावी नामांतरण है। उक्त नामांतरण आदेश दिनांक

14.09.2015 का इंतकाल आदेश का ज्ञान होने का तथ्य मिथ्या व निराधान होने के कारण अस्वीकार है। अपीलार्थी इंतकाल आदेश दिनांक 05.08.2010 को निरस्त करवाने की आधिकारी नहीं है।

स्व. सतेन्द्र सिंह ने अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर को निर्वाह भत्ता व अन्य अधिकारों के रूप में चक 8 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित अपनी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18 कुल 8 बीघा कृषि भूमि अपीलार्थी रूपन्द्रि कौर को कभी भी नहीं दी थी और ना ही इस सम्बन्ध में कथित दस्तावेज प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23.07.2003 अपीलार्थी के पक्ष में विधिवत रूप ये निष्पादित किया था। चक 8 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 10 की वर्णित 8 बीघा कृषि भूमि अपीलार्थी के कब्जा व स्वामित्व में कभी भी नहीं रही है और ना ही उक्त वर्णित 8 बीघा कृषि भूमि को प्राप्त करने की अधिकारणी है। इंतकाल आदेश दिनांक 05.08.2010 समस्त विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर जारी किया गया है जो कि वध व प्रभावी नामांतरण है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में इंतकाल आदेश दिनांक 05.08.2010 के द्वारा प्रत्यर्थीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा वह उक्त वर्णित कृषि भमि को हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का अधिकार रखते हैं। इंतकाल आदेश दिनांक 05.08.2010 पारित कराने से पूर्व अपीलार्थी को सुने जाने की आवश्यकता नहीं थी और ना ही उसे सुनवाई का विधिक अधिकार प्राप्त था। अपीलार्थी को इंतकाल आदेश दिनांक 05.08.2010 का ज्ञान आदेश की दिनांक 05.08.10 से ही था दिनांक 14.09.2015 को इंतकाल आदेश का ज्ञान होने का तथ्य मिथ्या व निराधार होने के कारण अस्वीकार है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार यह अपील इन्तकाल आदेश दिनांक 05.08.2010 से 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी विधिनुसार आवश्यक थी जो कि समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में मियाद बाहर होने के कारण यह अपील विधिनुसार चलने योग्य नहीं है तथा प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 09.09.2016 को रेस्पोडेंट द्वारा जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि स्थगन प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। दिनांक 09.09.2016 को रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 द्वारा ऐतराज/जवाब अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 गुरजोत सिंह व प्रत्यर्थी संख्या 4 शरणदीप कौर अपील प्रस्तुत किये जाने के समय नाबालिग थे तथा वर्तमान समय में भी प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 नाबालिग है। प्रत्यर्थी संख्या 3 गुरजोत सिंह की वर्तमान आयु करीब 11 वर्ष है तथा प्रत्यर्थी सं.4 शरणदीप कौर की वर्तमान आयु करीब 9 वर्ष है। विधिनुसार नाबालिग व्यक्ति के विरूद्ध विधिक कार्यवाही जरिये नैसर्गिक संरक्षक या वादार्थ संरक्षक के यह अपील नाबालिग व्यक्ति प्रत्यर्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो कि विधिनुसार चलने योग्य नहीं है तथा प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार यह अपील इन्तकाल आदेश दिनांक 05.08.2010 से 30 दिन के अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी विधिनुसार आवश्यक थी जो कि समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति मियाद (परिसीमा) बाहर होने के कारण यह अपील विधिनुसार चलने योग्य नहीं है तथा प्रथमदृष्टया खारिज योग्य है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील के आधार कथित दस्तावेज प्रतिज्ञान पत्र दिनांक 23.07.2003 (जिसे प्रत्यर्थीगण स्वीकार नहीं करते हैं) के सम्बन्ध में प्रतिज्ञान पत्र दिनांक 23.07.2003 के अनुसार समक्ष सिविल न्यायालय में विनिर्दिष्ट पालना के अनुतोष हेतु विधिक कार्यवाही स्व. श्री सतेन्द्र सिंह या प्रत्यर्थीगण सं. 2 ता 4 के विरूद्ध परिसीमा अवधि के भीतर संस्थित नहीं की है ऐसी स्थिति में सक्षम सिविल न्यायालय न्यायालय के समक्ष परिसीमा अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट पालना के अनुतोष हेतु विधिक कार्यवाही संस्थित ना किए जाने के कारण, उक्त आधार पर यह अपील ग्रहण किये जाने योग्य व सुनवाई योग्य नहीं है व खारिज योग्य है। इंतकाल आदेश दिनांक 05.08.2010 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुने जाने की आवश्यकता नहीं थी और ना ही उसे सुनवाई का विधिक अधिकार प्राप्त था।

अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्य जिस तरह से कथित किये गये है, मिथ्या व निराधार होने के कारण अस्वीकार है। अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर व स्व. श्री सतेन्द्र सिंह का पारस्परिक सहमति से दिनांक 03.03.2004 को विवाह विच्छेद होना स्वीकार है परन्तु स्व. श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर को निर्वाह भत्ता व अन्य अधिकारों के रूप में चक

के किला नम्बर 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18 कुल 8 बीघा कृषि भूमि देने का कथन तथा उक्त सम्बन्ध मे स्व. श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर के पक्ष में कथित दस्तावेज प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 23.07.2003 निष्पादित किये जाने का कथन मिथ्या व निराधार होने के कारण अस्वीकार है। स्व. श्री सतेन्द्रसिंह ने अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर को निर्वाह भत्ता व अन्य अधिकारों के रूप में चक 8 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित अपनी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18 कुल 8 बीघा कृषि भूमि अपीलार्थी रूपन्द्रि कौर को कभी भी नहीं दी थी और ना ही इस सम्बन्ध में कथित दस्तावेज प्रतिज्ञा पत्र दिनाक 23.07.2003 अपीलार्थी के पक्ष में विधिवत रूप से निष्पादित किया था। अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर ने कृषि भमि हडपने की नियत से निष्पादित किया था। अपीलार्थी रूपिन्द्र कौर ने कृषि भूमि हडपने की नियत से कथित दसतावेज प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 23.07.2003 फर्जी व कूटरचित तैयार किया है जो कि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रत्यर्थीगण कथित दस्तावेज प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 23.07.2003 को स्वीकार नहीं करते हैं। चक 8 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित स्व. श्री सतेन्द्र सिंह की उक्त वर्णित कृषि भमि पर अपीलार्थी का कभी भी कब्जा व स्वामित्व नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कब्जा विद्यमान है। उक्त वर्णित कृषि भमि पर स्व. श्री सतेन्द्र सिंह के जीवनकाल में श्री सतेन्द्र सिंह का लगातार कब्जा व स्वामित्व बना रहा था तथा उनके देहान्त के पश्चात् उनकी विवाहिता पत्नी प्रत्यर्थी सं. 12 व धर्मज संतान प्रत्यर्थी सं. 3 व 4 का लगातारी कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। अपीलार्थी श्रीमती रूपिन्द्र कौर वर्तमान में चक 8 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास नहीं कर रही है। स्व. श्री सतेन्द्र सिंह से विवाह विच्छेद हो जाने के उपरान्त सन् 2004 में ही अपीलार्थी श्रीमती रूपिन्द्र कौर ने पुनः विवाह कर लिया था तथा तब से वह अपने पति के साथ गांव रामपुराफुल जिला बठिण्डा, पंजाब में निवास कर रही है। स्व. श्री सतेन्द्र सिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त वर्णित कृषि भूमि का उत्तराधिका के कम में नामांतरण व अंतरण है तथा निरस्त योग्य नहीं है इंतकाल आदेश दिनांक 05.08.2010 समस्त विधिक प्रकिया अपनाई जाकर जारी किया गया है जो कि वैध व प्रभावी नामांतरण है। उक्त नामांतरण आदेश दिनांक 05.08.2010 का ज्ञान अपीलार्थी को आदेश की दिनांक 05.08.2010 के ही था दिनांक 14.09.2015 को इंतकाल आदेश का ज्ञान होने के तथ्य मिथ्या व निराधार होने के कारण अस्वीकार है। अपीलार्थी इंतकाल आदेश दिनांक 05.08.2010 को निरस्त करवाने की अधिकारी नहीं है।

बहस उभ्यपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

—:: आदेश ::—

दोराने बहस एक पक्ष ने बताया कि स्थाई भरण पोषण के एवज में यह 8 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। इस प्रकरण से सम्बन्धित जिला न्यायालय में राजीनामा पेश है। आपसी सहमति के आधार पर 03.03.2004 को तलाक डिक्री किया गया। धारा 78 एल आर एक्ट में 30 दिन में अपील दायर की जा सकती है। दिनांक 06.10.2015 को अपील दायर की गई। दिनांक 05.08.2010 को इंतकाल के विरूद्ध अपील दायर की गई। अपीलार्थी पंजाब में निवास करती है एवं अपील में 8 एल एल की निवासी अंकित किया गया है। अपीलार्थी का तलाक हो चुका था, वहां के राजीनामा के आधार पर 14 साल तक इंतकाल नहीं चढाया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 नाबालिग है। आदेश 32 सी.पी.सी. के अनुसार नाबालिग के विरूद्ध न्यायालय की अनुमति के साथ वाद पेश किया जा सकता है, बिना सिविल न्यायालय की अनुमति प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं आता है। अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने का मियाद बाद पेश करने का कोई वाजिब कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। जहां राजीनामा के आधार पर तलाक डिक्री हुआ है जिसकी पालना इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं पाये जाने पर खारिज की जाती है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक **16.02.2018** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा)